

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

112264 - क्या एक अमीर औरत अपने पति की ओर से कुर्बानी पेश कर सकती है ?

प्रश्न

क्या सक्षम महिला के लिए अपने पति की ओर से कुर्बानी करना जायज़ है ; क्योंकि उसका पति कुर्बानी की ताकत नहीं रखता है ?

विस्तृत उत्तर

उत्तर :

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

कुर्बानी करना पुरुष और महिला दोनों के लिए धर्म संगत है। अतः जिसके पास कुर्बानी करने की ताकत है उसके लिए यह मुस्तहब (एच्छक) है। तथा औरत जब कुर्बानी करे तो उसे चाहिए कि अपनी कुर्बानी को अपनी ओर से और अपने घर वालों की ओर से करे। ऐसी अवस्था में उसका पति भी उसमें दाखिल हो जायेगा।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह से प्रश्न किया गया : क्या कुर्बानी पूरे तौर पर परिवार (खानदान) के लिए है या उसके प्रत्येक व्यस्क सदस्य के लिए है, और उसे कब ज़बह किया जायेगा ? और क्या कुर्बानी करने वाले के लिए कुर्बानी के जानवर को ज़बह करने से पहले अपने बाल और नाखून में से कुछ भी न काटना शर्त है ? और यदि वह किसी गर्भवती महिला का है तो क्या करना होगा ? तथा इस तरह के मामले में कुर्बानी और सदका के बारे में क्या अंतर है ?

तो उन्होंने ने उत्तर दिया : “कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। वह पुरुष और महिला दोनों के लिए धर्म संगत है। वह आदमी और उसके घरवालों की ओर से, तथा महिला और उसके घर वालों की ओर से काफी होगी। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हर साल सींग वाले काले-सफेद रंग वाले दो मेंढों की कुर्बानी करते थे। एक अपनी ओर से और अपने घरवालों की ओर से, और दूसरा अपनी उम्मत में से मुवह्हेदीन (एकेश्वरवादियों) की ओर से। और उसका समय हर साल यौमुन्नहर (दस जुलहिज्जा) और तश्रीक के दिन (11, 12, 13 जुलहिज्जा) हैं। कुर्बानी करने वाले के लिए सुन्नत यह है कि वह उससे खुद खाए, और उससे अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भेंट करे, तथा उससे सदका (दान) करे। तथा जो आदमी कुर्बानी करना चाहता है उसके लिए जुलहिज्ज का महीना दाखिल होने के बाद अपने बाल, अपने नाखून और अपनी त्वचा से कुछ भी

# इस्लाम प्रश्न और उत्तर

जनरल पर्यवेक्षक : शैख मुहम्मद सालेह  
अल-मुनज्जिद

काटना जायज़ नहीं है यहाँ तक कि वह कुर्बानी कर ले। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कथन है : “जब जुल हिज्जा का महीना दाखिल हो जाए, और तुम में से कोई कुर्बानी करना चाहे, तो अपने बाल, नाखून और त्वचा में से कुछ भी न काटे यहाँ तक कि कुर्बानी कर ले।” इसे मुस्लिम ने अपनी सहीह में, उम्मे सलिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है। जो व्यक्ति कुर्बानी करने के लिए वकील है, या वक्फ का वकील है जिसमें कुर्बानियाँ भी हैं, तो उसके लिए अपने बाल, नाखून और त्वचा छोड़ना अनिवार्य नहीं है ; क्योंकि वह कुर्बानी करने वाला नहीं है। बल्कि यह उस कुर्बानी करनेवाले पर अनिवार्य है जिसने उसे इसके लिए वकील बनाया है। इसी तरह वक्फ करने वाला ही वास्तव में कुर्बानी करने वाला है। वक्फ की देखरेख करनेवाला, लागू करने वाला वकील है, कुर्बानी करनेवाला नहीं है। और अल्लाह तआला ही तौफीक देने वाला है।” मजमूअ फतावा इब्ने बाज़ (18/38) से समाप्त हुआ।

लेकिन यदि वह औरत उसकी ओर से कुर्बानी करना चाहे इस तौर पर की कुर्बानी का जानवर उसका हो तो उससे अनुमति लेना ज़रूरी है ; क्योंकि इबादत के अंदर किसी और की ओर से प्रतिनिधित्व करना उसकी अनुमति के बिना जायज़ नहीं है, चाहे प्रतिनिधि पुरुष हो या महिला। क्योंकि कुर्बानी एक इबादत है, और इबादत के लिए नीयत का होना ज़रूरी है।